प्र.सं. 9/23, 10/23 बापुलाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदाजी का गडा, तहसील घाटोल में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की पैत्रृक कृषि भूमि खाता संख्या नया 466 पुराना 125 संवत् 2074—77 के खसरा नंबर 185, 186, 187, 200, 203 कुल किता 5 रकबा 1.10 हैक्टर, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 12 से 16 के नाम शामलाती है। खाता संख्या 465 नया 33 पुराना के खसरा नंबर 120, 184, 188, 217 कुल किता 4 रकबा 0.43 हैक्टर वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के नाम शामलाती है। खाता संख्या 464 नया 123 पुराना के खसरा नंबर 190, 197, 198, 199, 206, 216, 226, 227, 230 कुल किता 9 रकबा 1.61 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 9 तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के नाम शामलाती है। खाता संख्या 135 नया 108 पुराना के खसरा नंबर 204, 205, 207, 209 कुल किता 4 रकबा 0.89 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 10 से 16 के नाम शामलाती है। उक्त कृषि भूमि संवत् 2038 से 2041 के खाता संख्या 71 नया 75 पुराना के खसरा नंबर 40 से 45, 47 से 54, 56, 57 कुल किता 16 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगजी, केवजी, दीपा, धनजी पिता नाथीया बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड था, जबकि नाथीया के पांच पुत्र होकर लालीया भी नाथीया का पुत्र है। नगजी, केवजी, दीपा, धनजी पिता नाथीया ने विरासत की भूमि का 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार विभाजन कर लिया, जिसमें दीपा को सबसे कम भूमि प्राप्त हुई है तथा अनुपयोगी रोड़ से दूर भूमि प्राप्त हुई है, जबकि अन्य तीन भाईयों को अच्छी भूमि प्रदान की गयी है। पक्षकारान की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। बंटवारे के बाद वादी को प्राप्त कृषि भूमि में लालीया के वारिसों का नाम भी सहखातेदारी में दर्ज हो जाने से वादीगण के हिस्सा कम हो गया है। अतः नाथीया से प्राप्त कृषि भूमि को नगजी, केवजी, दीपा, धनजी पिता नाथीया के अन्याय पूर्ण बंटवारे को निरस्त करते हुए पुनः सभी खातेदारों को शामिल कर 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/5 हिस्से का हकदार घोषित किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:10 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.10.2022 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.12.2022 को अंतिम डिक्री जारी। उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा ये अपीलें इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2023 को प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान तथा विवादित आराजियात समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 22/2022 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये, वह सभी दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण की तलबी हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये गये, परन्तु किसी भी सम्मन की सम्यक रूप से तामिल किये बिना अपीलान्टगण की तामिल मान ली गयी, जबकि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 रोजगार के सिलसिले में बाहर रहने के कारण उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं थी। वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:10 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वास्तविकता यह है कि नाथीया के जीवनकाल में ही पारिवारिक समझौते अनुसार ग्राम उदाजी का गडा स्थित उपरोक्त कृषि भूमि कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा एवं ग्राम लालपुरा स्थिति कुल खेत 9 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा का विधिवत पारिवारिक समझौते अनुसार बंटवारा कर दिया गया था, जिसके अनुसार ग्राम लालपुरा की आराजियात पर लालीया काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उसकी मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 से 16 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम उदा का गडा स्थिति कुल खेत 16 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नाथीया के अन्य पुत्र नगजी, केवजी, दीपा एवं धनजी के मध्य आपसी सहमति से राजस्व अभियान में विधिवत बंटवारा दिनांक 15.06.1989 को कर दिया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 427 दिनांक 28.03.1990 स्वीकृत होकर खाते पृथक–पृथक कायम किये गये एवं उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिलने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, तत्पश्चात् उसके आधार पर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री के बाद दिनांक 30.06.2023 को अपीलान्ट तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के मध्य ईकरारनामा निष्पादित हुआ है तथा दिनांक 12.07.2023 को आराजी नंबर 2209/186 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय वादी संख्या 2 शान्तिलाल द्वारा अपीलान्ट बापूलाल के पक्ष में कर दिया गया है तथा इसी प्रकार वादी संख्या 1 कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 08.05.2024 को आराजी नंबर 188 में रकबा 0.01 हैक्टर का रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती लीला बुनकर को कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:10 IST
Reason: SelfAttested

जारी की है, जो विधि सम्मत होने से दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपील मीमों के बिन्दु संख्या 3 अनुसार नाथीया की भूमि दो गांवों उदा जी का गड़ा तथा लालपुरा में थी, जिसका पारिवारिक बंटवारा नाथीया के जीवनकाल में हो चुका था तथा तद्नुसार लालीया पिता नाथीया को ग्राम लालपुरा स्थिति भूमियां दी गयी। चुंकि दावा विभाजन का है ऐसी स्थिति में अपील मीमों में उठाये गये उक्त तथ्यों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दावा दिनांक 10.06.2022 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 07.07.2022 को प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपनी अण्डर टेकिंग भी दी। तत्पश्चात् दिनांक 28.07.2022 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। यद्यपि यह अधिवक्ता का दायित्व था कि इस एकतरफा कार्यवाही को दोतरफा करवाते। तथापि न्यायहित में प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वरा अपील मीमों में उठाये गये बिन्दुओं का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/2022 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.10.2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.12.2022 अपास्त की जाती हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे सम्मुख प्रस्तुत उक्त आब्जरवेशन को दृष्टिगत रखते हुए अपील मीमों के बिन्दु संख्या 3 में अपीलान्टगण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण कर तथा उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं सहायक अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:10 IST
Reason: SelfAttested